रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2002/माघ 26, 1923

No. 173] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2002/MAGHA 26, 1923

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2002

का. आ. 206(अ).— केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 2 के खंड (क) के उपखंड (xi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेशों को उन बातों की बाबत के सिवाय इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से विखंडित करती है जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अर्थातः-

1. भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का आदेश सं0 का0 आ0 2114 तारीख 21-9-1959 जिसके द्वारा " (i) रेशम से बने वस्त्रों, (ii)मानव निर्मित सेल्युलोजिक और नॉन सेल्युलोजिक स्पन फाइबर से पूर्णतः अथवा आंशिक रुप से बने वस्त्रो ; और (iii)मानव निर्मित सेल्युलोजिक और नॉन सेल्युलोजिक फिलामेंट यार्न से पूर्णतः अथवा आंशिक रुप से बने वस्त्रों " को आवश्यक वस्तु के रुप में घोषित किया गया था ।

2. भारत सरकार के तत्कालीन इस्पात और भारी उद्योग (भारी उद्योग विभाग)का आदेश सं0 का0 आ0 3594 तारीख 24-11- 1962 का आदेश जिसके द्वारा " सीमेंट" को आवश्यक वस्तु के रुप में घोषित किया गया था ।

3. भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय का आदेश सं0 का0 आ0 2135 तारीख 15-7-1966 जिसके द्वारा " जनरल लाइटिंग सर्विस लैम्पों" को आवश्यक वस्तु के रुप में घोषित किया गया था ।

4. भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय का आदेश सं0 का0 आ0 76 तारीख 4-1-1967 जिसके द्वारा " इलैक्ट्रिक आयरन, हीटर जैसे तथा उसी प्रकार के घरेलू उपकरणों " को आवश्यक वस्तु के रुप में घोषित किया गया था ।

5. भारत सरकार के तत्कालीन औद्योगिक विकास और आंतरिक व्यापार मंत्रालय (आंतरिक व्यापार विभाग) (सिविल प्रदाय संगठन) का आदेश सं0 का0 आ0 2532 तारीख 24-7-1970 जिसके द्वारा " विद्युत केबिल और तारें" को आवश्यक वस्तु के रुप में घोषित किया गया था ।

6. भारत सरकार के तत्कालीन औद्योगिक विकास मंत्रालय (आंतरिक व्यापार विभाग) (सिविल पूर्ति महानिदेशालय) का आदेश सं0 का0 आ0 492 (अ) तारीख 10-7-1972 जिसके द्वारा " मानव निर्मित सेल्युलोसी और असेल्युलोसी रेखा तंतु " को आवश्यक वस्तु के रुप मे घोषित किया गया था ।

7. भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय (आंतरिक व्यापार विभाग) (सिविल आपूर्ति संगठन) का आदेश सं0 का0 आ0 256 (अ) तारीख 19.4 1974 जिसके द्वारा " (i) मानव निर्मित सेल्युलोसिक और असेल्युलोसिक तंतु सूत ; (ii) नाइलोन टायर सूत/डोरी/वस्त्र" को आवश्यक वस्तु के रुप में घोषित किया गया था ।

8 भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति विभाग) का आदेश सं0 का0 आ0 197 (अ) तारीख 20.3.1991 जिसके द्वारा " (1)घरेलू और वैसे ही प्रयोजनों के लिए स्विच, (2) 2-ए एम पी स्विच, (3) 3-पिन प्लग और साकेट आउटलेट" को आवश्यक वस्तु के रुप में घोषित किया गया था ।

9. भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) का आदेश सं0 का0 आ0 561 (अ) तारीख 5.8. 1997 जिसके द्वारा " टैक्सटाल मशीनरी :-(i)बुनाई मशीन, (ii)कताई मशीन, (iii) फीते बनाने वाली मशीन, (iv)पावरलूम ; और (v) प्रसंस्करण मशीनरी " को आवश्यक वस्तु के रुप मे घोषित किया गया था ।

[फा. सं. 15/1/2002-ईसीआर एंड ई]

एस. नौटियाल, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 15th February, 2002

S.O. 206(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (xi) of clause (a) of section 2 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds the following Orders except as respects things done or omitted to be done before such rescission, with effect from the date of publication of this Order, namely :-

1. Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce and Industry number S.O. 2114 dated 21.9.1959 declaring "(i) textiles made from silk, (ii) textiles made wholly or in part from man-made cellulosic and non-cellulosic spun fibres; and (iii) textiles made wholly or in part from man-made cellulosic and non-cellulosic filament yarns" as essential commodities.
2. Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Steel and Heavy Industry (Department of Heavy Industries) number S.O. 3594 dated 24.11.1962 declaring "cement" as an essential commodity.
3. Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce number S.O. 2135 dated 15.7.1966 declaring "General Lighting Service Lamps" as an essential commodity.

4. Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce number S.O.76 dated 4.1.1967 declaring "Household appliances such as electric irons, heaters and the like" as an essential commodity.

5. Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Internal Trade) (Civil Supplies Organisation) number S.O.2532 dated 24.7.1970 declaring "Electrical Cables and Wires" as essential commodities.

6. Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Industrial Development (Department of Internal Trade) (Directorate General, Civil Supplies) number S.O.492(E) dated 10.7.1972 declaring "Man-made cellulosic and non-cellulosic staple fibres" as an essential commodity.

7. Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce (Department of Internal Trade) (Civil Supplies Organisation) number S.O.256(E) dated 19.4.1974 declaring "(i) Man-made Cellulosic and noncellulosic filament yarn; (ii) Nylon Tyre Yarn/Cord/Fabric" as essential commodities.

8. Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Civil Supplies) number S.O.197(E) dated 20.3.1991 declaring "(1) Switches for domestic and similar puposes; (2) 2-AMP Switches; (3) 3-Pin Plugs and Sockets Outlets" as essential commodities.

9. Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food and Consumer Affairs (Department of Consumer Affairs) number S.O.561(E) dated 5.8.1997 declaring "Textile Machinery : (i) Knitting Machine; (ii) Spinning Machine; (iii) Lace Making Machine; (iv) Powerloom and (v) Processing Machinery" as essential commodities.

[F. No. 15/1/2002-ECR&E]
S. NAUTIYAL, Addl. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2002

का. आ. 207(अ).— केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1965 का 10) की धारा 2 के खंड (क) के उपखंड (xi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय (आंतरिक व्यापार विभाग) (सिविल आपूर्ति संगठन) द्वारा जारी किए गए आदेश सं0 का0 आ0 188 (अ) तारीख 31.3.1973 में जिसके द्वारा "निम्नलिखित सामग्रियों में से किसी से पूर्णतः या भागतः बना हुआ सूत, अर्थात् :- (i)कपास ; (ii) ऊन ; (iii)

भानव निर्मित सेलुलोजी से कता हुआ तंतु ; (iv) मानव निर्मित सेलुलोजी-इतर से कता हुआ तंतु ; (vi)रेशम " को आवश्यक वस्तु के रुप में घोषित किया गया था ,इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त आदेश में "निम्नलिखित सामग्रियों में से किसी से पूर्णतः या भागतः बना हुआ सूत, अर्थात् :- (i)कपास ; (ii) ऊन ; (iii) मानव निर्मित सेलुलोजी से कता हुआ तंतु ; (iv) मानव निर्मित सेलुलोजी-इतर से कता हुआ तंतु ; (vi)रेशम " शब्दों के स्थान पर " पूर्णतः कपास से बना हुआ सूत" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 15/1/2002-ईसीआर एंड ई]
एस. नौटियाल, अपर सचिव

ORDER

New Delhi, the 15th February, 2002

S.O. 207(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (xi) of clause (a) of section 2 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendments, with immediate effect, in the Order of the Government of India issued in the erstwhile Ministry of Commerce (Department of Internal Trade), Civil Supplies Organisation number S.O.188(E) dated 31.3.1973 declaring "Yarn made wholly or in part from any of the following materials, namely:- (i) cotton; (ii) wool; (iii) man-made cellulosic spun fibre; (iv) man-made non-cellulosic spun fibre; (v) silk" as an essential commodity, namely :-

In the said Order for the words "Yarn made wholly or in part from any of the following materials, namely:- (i) cotton; (ii) wool; (iii) man-made cellulosic spun fibre; (iv) man-made non-cellulosic spun fibre; (v) silk", the words "Yarn made wholly from cotton" shall be substituted.

[F. No. 15/1/2002-ECR&E]
S. NAUTIYAL, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.